(2)

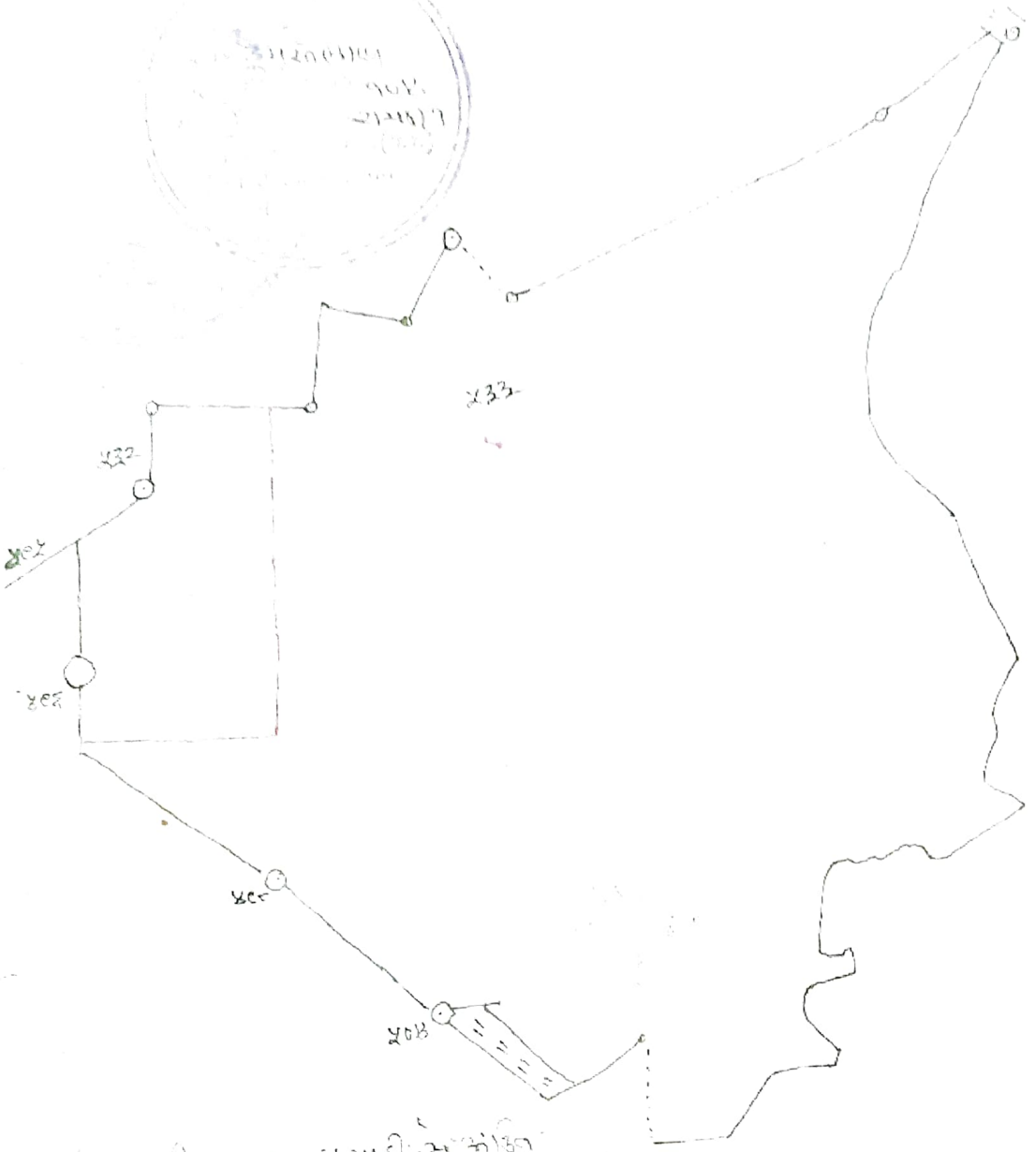

नोट:- [illegible]
खसरा ४३३/२ [illegible]
[illegible]

[illegible]

नजूल नक्शा

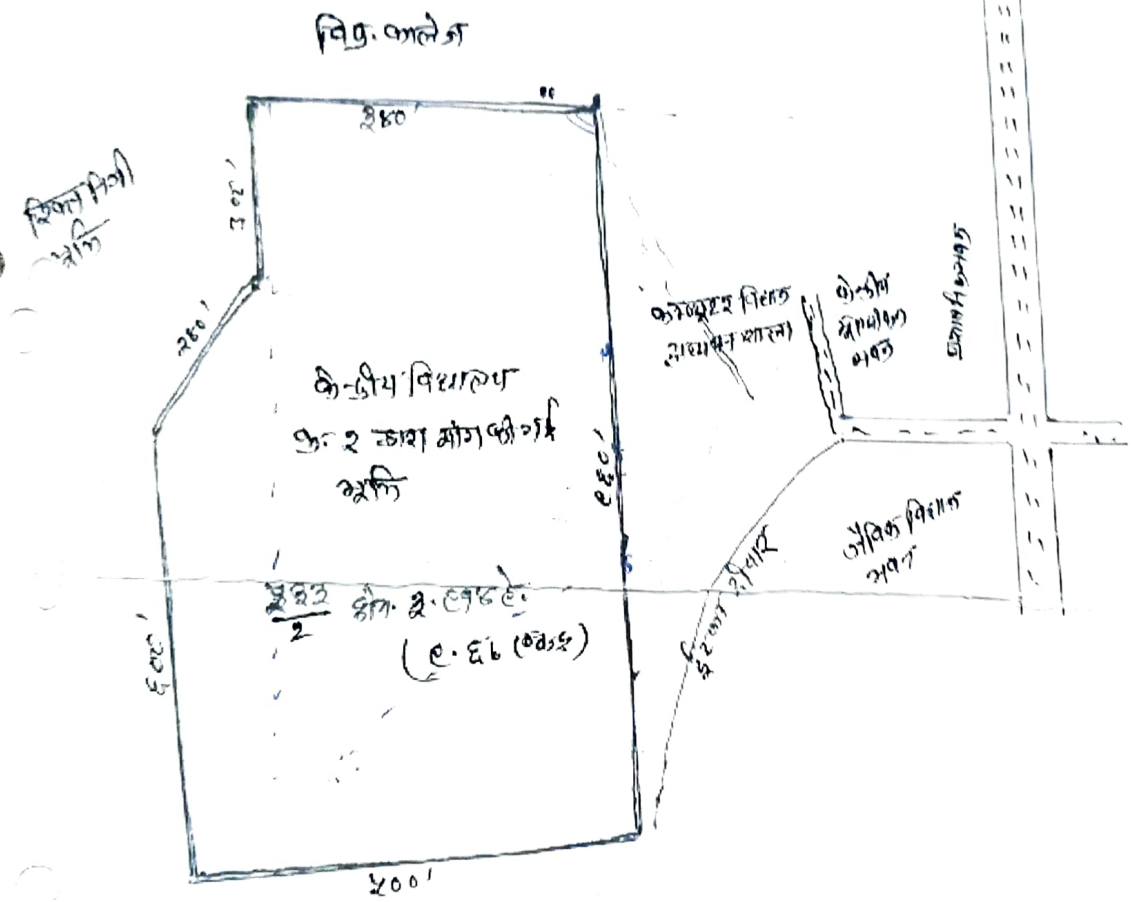

ग्राम कुम्हारी

प.ह.नं. 108

रा.नि.मं. रायपुर-1

तह. } रायपुर
जिला }

टीप

(1) प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर में वि.ज्ञा. कालेज पूर्व में कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला दक्षिण में वि.वि. का खेल मैदान पश्चिम में ... स्थित है।

(2) भूमि आबादी उपयोग के लिए है।

(3) भूमि शासकीय है वर्तमान में रिक्त पड़ी है।

नजूल अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ-4-19/सात-1/04 रायपुर, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर
जिला-रायपुर
(छ0ग0)

Kendriya Vidyalaya No. 2
No. 300....
Date 16/12/04
Shankar Nagar, Raipur (CG)

विषय:- केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-02 रायपुर को भूमि का आवंटन ।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 750/क/वा.-1/न.जू./2004 दिनांक 28.08.04

---x---

राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-02 रायपुर को ग्राम डुमर तालाब पटवारी हल्का नंबर-104 राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 533/2 रकबा 10.00 एकड़ भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र 1-7 के अन्तर्गत म0प्र0 राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-6-35/सात/नजूल/04 दिनांक 3 मार्च 1994 के प्रावधानुसार बिना प्रब्याजि एवं नाम मात्र का भूमिस्वामी मूल्य 25.00 रुपये (रुपये पच्चीस मात्र) लेकर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु सामान्य शर्तों के साथ-साथ नीचे लिखी विशेष शर्तों के अधीन स्थायी पट्टे पर आवंटन की स्वीकृति प्रदान करता है :-

(1) भूमि के किसी भी उपयोग व उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी औपचारिकतायें अनुमति अनुमोदन एवं अनापत्तियाँ संबंधित संस्थाओं नगर निगम, नगर तथा ग्राम निवेश आदि से लेनी होगी।

(2) पर्यावरण सुधार की दृष्टि से आवंटित भूमि के अन्दर अनुपातिक [illegible] निर्धारित संख्या में वृक्ष भी लगाने होंगे ।

(3) [illegible] अन्य उपयोग के लिये नहीं होगा अन्यथा अनाधिकृत [illegible] शासन में निहित कर ली जायेगी या [illegible] किया जायेगा । [illegible] भी भवन आदि [illegible] किसी अन्य शासकीय [illegible] किया जायेगा [illegible] के लिये किया [illegible] ।

निरन्तर-2

तह0/0/04
तहसीलदार नजूल
[illegible]
23/12/04
तहसीलदार
रायपुर (छ.ग.)

(5) यदि किसी भी उक्त भूमि उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये उपयोग नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों एवं सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और आवंटितों को उसका मुआवजा देय नहीं होगा ।

(6) शासन के प्रतिनिधि, अधिकृत व्यक्ति तथा कलेक्टर या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि एवं उन पर निर्मित बीस्तर के निरीक्षण का अधिकार होगा ।

2/- आदेश जारी होने की तिथि से संस्था से प्रब्याजी की सम्पूर्ण राशि व भू-भाटक की राशि 3: माह के अन्दर जमा कराये और निर्धारित अवधि में प्रब्याजी व भू-भाटक जमा नहीं करते है तो आवंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा ।

3/- आपके कार्यालय से प्राप्त राजस्व प्रकरण क्रमांक मूलत: संलग्न कर लौटाया जाता है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही/—
(पी.एस. तिवारी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्र0/एफ-4-19/सात-1/04/रा. रायपुर, दिनांक 14/12/04

प्रतिलिपि:-

प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी संचालक कार्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(signature)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

(signature) 8/12/04

FORM C G TC 7
(See Subsidiay Rules 59)
CHALAN NO.

शंकर स्टेशनरी Ph.: 2223465
Original/Duplicate/Triplicat

Challan of money paid in to the State/Reserve Bank of India/ Treasury Sub/ Treasury
(To be present at the Treasurys single or duplicate or triplicate as the cases may be)
खजाने में इसकी एक या दो या तीन मकले जैसा कायदा हो पेश करना चाहिए।

By whom brought कौन लाया	On what account किस बाबत	Under Rupees in Words कितने रुपये के अंक		Amount रकम
	ग्राम डुमरतालाब पहनं 104 ख.नं. 553/2 रकबा 10.00 वर्ग मीटर भूमि का 25=00 रुपये मूल्य		पंजीकृत मूल्य	25=00
			नक्शा शुल्क	30=00
			Total मीजान	55=00

Words पचपन रुपये मात्र

Head of Revenve	0029 भूराजस्व रैंट एवं विविध प्राप्तियाँ	Datails	तफशील
Major Head		Note	नोट
Detailed Head	(छत्तीसगढ़ शासन)	Case	नगदी
		Total	मीजान

Certified that the amount shown above been entered in the Departmental Registet to be head of revenue indicated above

Dated 23/12/ 20 06 Departmental officer

Signature of Tenderes
दाखिल करने वाले के हस्ताक्षर

PRINCIPAL
KENDRIYA VIDYALAYA No. 2
Raipur (C.G.)

For use in Treasury खजाने में इस्तेमाल के लिए

Examinad	Received	Enteted No.
	Rs (in figures)	
	Rs. (in words)	
Initial in Accountant	Sign of Treasuiata	Signature of Accountant

Dated 20 Treasury officer

23/12 Saat

फार्म -ऊ

(कंडिका 28 देखिये)

भवन के प्रयोजन के लिए नगर पालिका आभ्यन्तर नजूल का पट्टा

पक्षकार - यह अनुबंध आज तारीख............31..................माह..12..............
सन..2006.......... प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात पट्टाकर्ता कहा गया है, और द्वितीय पक्ष प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2 रायपुर (जिन्हे इसमें इसके पश्चात पट्टेदार कहा गया है) के बीच किया जाता है। ([illegible])

<u>प्रीमियम</u>- यह (अनुबंध) इस बात का साक्षी है कि पट्टेदार द्वारा प्रीमियम के रूप में संदाय किए गए 25 - (पच्चीस रुपये) जिसकी कि प्राप्ति को पट्टाकर्ता एतद् द्वारा अभिस्वीकार करते है, और इसमें इसके पश्चात आरक्षित किये गए भाटक के तथा पट्टेदार की ओर से की गई प्रसंविदाओं के जो इसमें इसके पश्चात अन्तर्विष्ट हैं प्रतिफलस्वरूप -

<u>पट्टान्तरण</u> - पट्टाकर्ता एतद् द्वारा पट्टेदार को रायपुर जिले के ग्राम- डुमरतालाब प.ह.नं. 104 रायपुर नगर में उसकी नगरपालिका सीमाओं के भीतर रायपुर स्थित वह संपूर्ण भूखंड, जो माप में 10.00 एकड़ है, और जो इसके नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विशिष्टतः वर्णित है, तथा अधिक स्पष्टता की दृष्टि से जिसकी सीमा इससे उपाबद्ध रेखांक में चिन्हित की गई है और उसमें लाल रंग से बतलाई गई है।

अवधि- इस अनुबन्ध की तारीख से प्रारम्भ होने वाली तथा 31 मार्च सन् 2034 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उसे धारण करने के हेतु निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए पट्टान्तरित करता है:-

(1) <u>भाटक</u> - पट्टेदार प्रतिवर्ष जून के प्रथम दिन तहसीलदार रायपुर के कार्यालय में समस्त कटौतियों से मुक्त निःशुल्क वार्षिक भाटक का संदाय करेगा और ऐसे संदायों में से पहला संदाय आगामी जून के प्रथम दिन किया जाएगा।

(2) <u>कर, आदि</u> - पट्टेदार समय-समय पर उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर, ऐसे समस्त रेटों, प्रभारों तथा प्रत्येक प्रकार के निर्धारणों का संदाय तथा उन्मोचन करेगा जो कि एतद् द्वारा पट्टा धारित की गई उक्त भूमि या उस पर निर्मित किए जाने वाले भवनों पर या उसके/उनके सम्बन्ध भू-स्वामी या अधिधारी पर इस समय या एतद् पश्चात उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय निर्धारित प्रभारित अधिरोहित किए जाएं।

(3) <u>भवन की कालावधि</u>- पट्टेदार इस पट्टे की तारीख से 12 कलेण्डर मास के भीतर भवन का निर्माण करना प्रारम्भ करेगा और कम से कम ....रूपये की लागत से, वास एवं उपयोग के योग्य निवास गृह का साथ ही यदि आवश्यक हो तो, उपभवनों का इस पट्टे की तारीख से 2 वर्ष के भीतर निर्माण करेगा तथा उसे बिल्कुल पूरा करेगा।

(3-क) उक्त भूमि पर निर्मित किये जाने वाले भवन में, पट्टेदार निम्नलिखित बाजुओं में दरवाजों खिड़कियों अथवा प्रकाश या वायु के लिये प्रवेश के साधन के रूप में किन्ही अन्य मार्गो (आपेनिंग का निर्माण कर सकेगा):

क्रमश....2

(5A)

पट्टेदार उक्त भूमि पर ऐसे किसी भवन का निर्माण करने की अनुज्ञा नहीं देगा जिसका कि कोई दरवाजा, खिड़की अथवा प्रकाश या वायु के लिए या प्रवेश के साधन के रूप में कोई अन्य मार्ग, भवन या भूमि के शेष बाजुओं में हो, जिससे कि ऐसी शेष बाजुओं से लगी हुई भूमि पर प्रकाश या वायु या मार्ग संबंधी कोई भी अधिकार अर्जित किया जा सके, इसका आशय यह है, कि न तो यह पट्टा और न इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात पट्टाकर्ता को या उससे धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी शेष बाजुओं पर उक्त भूमि की सीमा से सटे हुए पार्श्व में किसी भी भवन को किसी भी समय निर्माण करने को किसी भी रूप में निर्बाधित नहीं करेगी।

(3-ख) पट्टेदार उक्त भूमि पर निर्मित भवन में, या इससे सटे हुए या इसके ऊपर या इसके सामने किसी ऐसे प्रलम्बन या संरचना को, जो कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित की गई उक्त भूमि से किसी भी भूमि पर आगे की ओर निकलता/निकलती हो या उस पर अतिक्रमण करता/करती हो, न तो जोड़ेगा और न उसका स्थापन करेगा।

(3-ग) पट्टेदार उक्त भूमि के सामने की ओर पार्श्व में कम से कम आठ फुट चौड़ी तथा अन्य बाजुओं में से प्रत्येक बाजू की ओर पार्श्व में कम से कम पांच फुट चौड़ी खुली छोड़ेगा, परन्तु पीछे की तरफ पार्श्व में की पांच फुट जगह पर केवल एक संडास ही बनाया जा सकेगा।

(3-घ) कुल निर्मित क्षेत्र उक्त भूमि के कुल क्षेत्रफल 10 एकड़ के 50/33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3-ड़) यदि नगर पालिका परिषद की भवन निर्माण संबंधी उपविधियों द्वारा अपेक्षित हो कि पार्श्व में उतनी जगह से अधिक जगह खुली छोड़ी जानी चाहिये या निर्मित क्षेत्र उतने से कम होना चाहिए जितना/जितनी कि क्रमशः खण्ड (3-ग) तथा (3-घ) का विनिर्दिष्ट है, तो भवन निर्माण संबंधी ऐसी उपविधियों के उपबंध ही अभिभावी होंगे।

(4) **भवन का विनियमन**- उक्त भूमि पर किसी भवन के निर्माण, पुर्ननिर्माण या परिवर्तन के विषय में पट्टेदार नगर पालिका से संबंधित विधि के उपबंधों के तथा उन नियमों, उपविधियों एवं आदेशों के, जो कि उसके (उक्त विधी के) अधीन विधिपूर्वक बनाये गये/बनाई गई हो, तथा दिए गये हो और जो कि तत्समय प्रवृत्त हो, अध्यधीन रहेगा। वह भवनों, उनमें किये जाने वाले परिवर्तनों या उनमें की जाने वाली वृद्धियों के समस्त रेखांकों पर कलेक्टर का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिये आबद्ध होगा।

(5) **समुचित अनुरक्षण**- पट्टेदार, उक्त अवधि के दौरान, उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों को वास तथा उपयोग के योग्य दशा में रखेगा।

(5-क) नजूल भू- परिमाप मानचित्र पर के संरेखक (ट्रावर्स) भू-परिमाप चिन्ह क्रमांक............ उक्त भूमि पर विद्यमान है। पट्टेदार कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा के बिना उन पर पर कोई ऐसा निर्माण नहीं करेगा या उनके संबंध में अन्यथा कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा जिससे कि उनकी उपयोगिता का ह्रास हो जाय।

(6-क) **व्यापार या कारोबार** पट्टेदार कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा के बिना परिसर पर कोई भी ऐसा व्यापार कारोबार या क्रिया कलाप, जिसके कि विनियमन के लिये नगर पालिकाओं से संबंधित विधि द्वारा या उसके अधीन तत्समय कोई उपबंध किया गया हो, न तो करेगा और न ही किये जाने की अनुज्ञा देगा,परन्तु ऐसी अनुज्ञा पट्टेदार को उक्त विधि के अधीन ऐसी किन्हीं भी अपेक्षाओं की पूर्ति करने से छूट नहीं देगी जिनके कि अध्यधीन वह रहेगा।

(6-ख) पट्टेदार परिसर पर कोई भी ऐसा व्यापार, कारोबार या क्रिया-कलाप, जो कि इस प्रकार विनियमित न किया गया हो, कर सकेगा या किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा किन्तु वह उसे बंद करने के लिये दशा में आबद्ध होगा जबकि पट्टकर्ता,पड़ोसियों की शिकायत पर अपना वह समाधान कर लेने के पश्चात कि वह (व्यापार या क्रिया कलाप) उनके लिये क्षोभ या संताप का कारण है, पट्टेदार से अपेक्षा करे कि वह पट्टेदार ऐसे समय के भीतर जो कि अध्यपेक्षों में नियत किया जाये, उस व्यापार कारोबार या क्रिया कलाप को बंद कर दें।

(7) <u>समनुदेशन-</u> पट्टेदार परिसर या उसके किसी भी भाग के प्रत्येक समनुदेशन पर और तत्पश्चात एक कलेण्डर मास के भीतर कलेक्टर को ऐसे समनुदेशन की सूचना देगा जिसमें कि ऐसे प्रत्येक समनुदेशन के पक्षकारों के नाम तथा वर्णन और उसकी (प्रत्येक समनुदेशन की) विशिष्टियाँ एवं प्रभाव उपवर्णित किये जायेंगे। इसी प्रकार पट्टेदार का हित उत्तराधिकारी भी, चाहे वह अंतरण द्वारा हो या विरासन द्वारा इस बात के लिये आबद्ध होगा कि वह कब्जा प्राप्त करने के पश्चात एक मास के भीतर वैसी विशिष्टियाँ सहित सूचना दें।

(8) <u>निर्बाध उपयोग-</u> पट्टकर्ता यह प्रसंविदा करता है कि एतद् द्वारा आरक्षित भाटक का संदाय करने वाला और इसमें अंतर्विष्ट शर्तों का पालन तथा अनुपालन करने वाला पट्टेदार पट्टाकर्ता या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी विधिपूर्ण विघ्न या विक्षोभ पहुँचाये गये बिना, उक्त अवधि के दौरान उक्त भूमि को शान्तिपूर्वक धारण करेगा और उसका उपभोग करेगा।

पुनः प्रवेश- परन्तु यदि किसी भी समय, उक्त भाटक या उसका कोई भी भाग, चाहे उसकी विधिपूर्वक मांग की गई हो या नहीं, उस तारीख के जिसकी कि वह शोध्य हो गया हो ठीक पश्चात एक कलेण्डर मास तक बकाया या असंदत्त रहे, और यदि पट्टेदार उक्त शर्तों से किसी भी शर्त का भंग या अनुपालन करें, तो पट्टाकर्ता किसी भी पूर्व कारण या पुनः प्रवेश के अधिकार का अधित्यजन कर देने पर भी,उक्त भूमि पर प्रवेश कर सकेगा और उसे उसी प्रकार पुनः कब्जे में ले सकेगा मानो कि यह पट्टान्तरण किया ही नहीं गया हो, ऐसी दशा में पट्टादार ऐसे पुनः प्रवेश की तारीख से तीन कलेण्डर मास के भीतर उन समस्त भवनों एवं स्थापकों को हटाने का हकदार होगा जो पट्टान्तरण के चालू रहने के दौरान किसी भी समय उसके द्वारा उक्त भूमि पर निर्मित किये गये हों या लगाये गये हों:

परन्तु यह और भी कि जब पूर्वगामी परन्तुक के अधीन कोई कारण या पुनः प्रवेश का अधिकार उत्पन्न हो जाये, तो पट्टाकर्ता के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह पुनः प्रवेश की शक्ति का प्रयोग में न लाने के प्रतिफलस्वरूप 500 रूपये से अनधिक धनराशि, जैसी कि कलेक्टर नियत करे, पट्टेदार से प्राप्त करे और यदि पट्टेदार,कलेक्टर के आदेश द्वारा नियत किये गये समय के भीतर ऐसी धनराशि का संदाय न करे तो उसे भू-राजस्व के बकाया की भाँति करे या पूर्वगामी परन्तुक के अधीन पुनः प्रवेश के अधिकार का प्रयोग में लाये।

क्रमशः....4

(9)**नवीकरण**- पट्टाकर्ता यह और प्रसंविदा करता है कि वह एतद् द्वारा मन्जूर की गई अवधि के अन्त में और उसी प्रकार उसके पश्चात भी समय पर, ऐसी प्रत्येक आनुक्रमिक उत्तरभावी अवधि के जो कि पट्टेदार के निवेदन तथा खर्च पर मन्जूर की जायेगी, अन्त में उसके लिये उक्त भूमि का नवीकृत पट्टा तीस वर्ष की अवधि के लिये निष्पादित करेगा।

परन्तु प्रत्येक नवीकृत पट्टे की मंजूरी के लिये भाटक में वृद्धि की जा सकेगी और यह कि प्रत्येक नवीकृत पट्टे में इसमें अन्तर्विष्ट शर्तो में से ऐसी शर्ते जो कि लागू होने योग्य हो और ऐसी अन्य शर्ते जो कि भविष्य के लिये उचित समझी जाएँ, अन्तर्विष्ट रहेगी :

परन्तु यह और भी कि प्रत्येक आनुक्रमिक नवीकरण पर नियत किये जाने वाले भाटक तथा अधिरोपित की जाने वाली शर्तो के बारे में पट्टाकर्ता का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(10) **निर्वाचन**- इस बात पर सहमति है कि इसमें प्रयोग में लाई गये अभिव्यक्तियों, पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार के अंतर्गत, जब कि संदर्भ में असंगत न हो, पूर्व कथित के मामले में उसके, उत्तरवर्ती यथा समनुदेशिती और पश्चात कथित मामले में उसके वारिस, निष्पादक, प्रबन्धक,प्रतिनिधि तथा समनुदेशिती आएंगे.

छत्तीसगढ शासन राजस्व विभाग का क्रमांक एफ-4 -19/सात-1/04 रायपुर दिनांक 14/12/2004 के अनुसार प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 02 रायपुर को ग्राम डुमरतालाब प.ह.नं. 104 स्थित भूमि ख.नं. 533/2 का रकबा 10.00 एकड़ भूमि मात्र 25.00(पच्चीस रूपये) पूंजीकृत मूल्य लेकर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु सामान्य शर्तो के साथ-साथ नीचे लिखी विशेष शर्तो के अधीन स्थायी पट्टे पर आबंटन की स्वीकृति प्रदान की गई।

(1) भूमि के किसी भी उपयोग व उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी औपचारिकतायें अनुमति अनुमोदन एवं अनपत्तियां संबंधित संस्थाओं नगर निगम, नगर तथा ग्राम निवेश आदि से लेनी होगी।

(2) पर्यावरण सुधार की दृष्टि से आबंटिल भूमि के अन्दर अनुमोदित किस्म के निर्धारित संस्या में वृक्ष भी लगाने होंगे।

(3) भूमि उपयोग अन्य उपयोग के लिये नहीं होगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी या भूमि का पूर्ण बाजार मूल्य देय पेनल्टी आदि के साथ लिया जावेगा।

(4) भूमि या उसके किसी भग या उस पर बने किसी भी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही विक्रय किया जावेगा या किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य उपयोग के लिये दिया/उपलब्ध कराया जावेगा।

(5) यदि किसी भी उक्त भूमि उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये उपयोग नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों एवं सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और आबंटितों को उसका मुआवजा देय नहीं होगा।

(6) शासन के प्रतिनिधि,अधिकृत व्यक्ति तथा कलेक्टर या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तों के पालन का निरीक्षण करने के लिये कभी भी भूमि एवं उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।

क्रमश...5

आदेश जारी होने की तिथि से संस्था से प्रब्याजी की सम्पूर्ण राशि व भू-भाटक की राशि छः माह के अन्दर जमा करावे यदि निर्धारित अवधि तक प्रब्याजी व भू-भाटक जमा नहीं करते है तो आबंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

संपत्ति का वर्णन- ऊपर निर्दिष्ट की गई अनुसूची -

*   *   *   *

ग्राम डुमरतालाब प.ह.नं. 104, रा.नि.मण्डल रायपुर स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 533/2 रकबा 10.00 एकड़ भूमि केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु आबंटन किया गया।

जिसके साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षकारों ने प्रत्येक मामले में लिखित तारीख तथा वर्ष की इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नजूल अधिकारी, रायपुर

31/12/2004

अपर कलेक्टर, रायपुर

साक्षीगण

1.......................................

2.......................................

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से

कलेक्टर के हस्ताक्षर

तारीख....................

साक्षीगण

1. श्री अनिल कुमार सिंह आ.-श्री आर.पी. सिंह

2. शंकर नगर रायपुर. Singh

(3) श्री बी. आर. पाल्हे आत्मज श्री (स्व.) बराबु राम पाल्हे

31/12/04

पट्टेदार के हस्ताक्षर

तारीख 31/12/2004

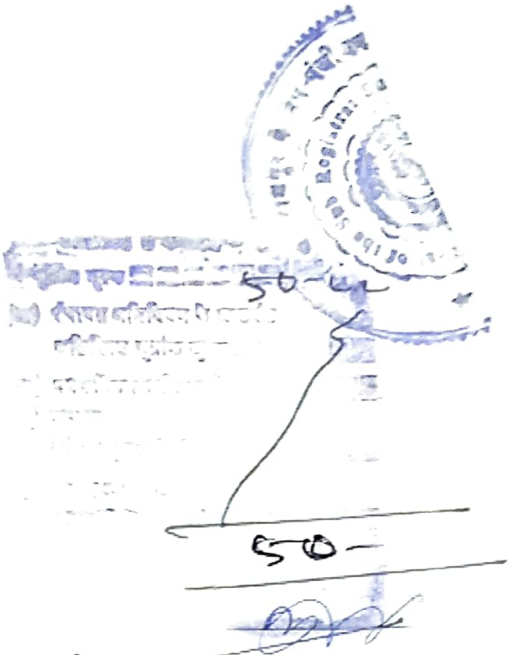

6

50/-

50/-

4 JAN 2005

50 Rs.

श्रीमति बंकुज सरकार
स्टाम्प वेंडर
पंचेड़ी नाका, रायपुर (छ. ग.)

29 NOV 2004

4 JAN 2005

4 JAN 2005

उप-पंजीयक, रायपुर

4 JAN 2005

30529

99593

507/54

गवाह

(1) अनिल कुमार सिंह आत्मज श्री आर. पी. सिंह
शंकर नगर रायपुर

(2) कीर्ति कुमार पाठक आत्मज स्व. श्री बलाकुराम पाठक
शंकर नगर, रायपुर

50
10-00
10-00
75-00

104 ... ग्राम पांच

हल्का इन्द्रगढ़ 2014

रा० नि० मं० ......

तह० वो जिला 2014

P-1

खसरा पांच साल

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि: क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई — फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल — चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में कोई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5९4 / 533 / 2	3.९1४ / आबादी								इन्द्रगढ़ ग्राम प्रमाणित किया दिनांक 14-4-19 [illegible] 04-2014		
									दिनांक 14/1/2014 [illegible] [illegible] 02		
			6/2/2014 एल. के. [illegible] पटवारी, ह० नं० 204						आयकर [illegible] पढ़ [illegible]		

GRPRJ—FS/388—12/98—6,926 Bks. of 201 pages each.

XXIII—P-II
Settl

ग्राम कुम्हारीठ .... प.ह.नं. १०४

रा० नि० मं० रायपुर-१

तह० व जिला-रायपुर वर्ष 2003/04

(09)

खसरा पांचसाला

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि — क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई: फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
४०५/५३३/२	३.०१६ आबादी									
			23/9/04 एल. के. सिन्हा पटवारी, ह० नं०-१०४							

GRPRJ—FS/388—12/98—6,926 Bks. of 201 pages each.

XIII—P-II
Settl

ग्राम डूमरताला प.ह.नं. 908

रा० नि० म० रायपुर

तह० व जि० रायपुर 20.8104

10 4/8

104 ... [illegible] अस्थाई फॉर्म

1

खसरा पांचसा

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि: क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई: फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
४०५/५33/२	3.098 आबादी									

28/9/2104
एन. के. सिन्हा
पटवारी ह० नं०-१०४

GRPRJ—FS/388—12/98—6,926 Bks. of 201 pages each.

खसरा पाच साला

[illegible] ग्राम ~~डुमरतालाब~~   पटवारी हल्का नम्बर पठ४ (11)   रा. नि. म. रायपुर - 1

तहसील व जिला रायपुर ~~रायपुर~~   सन् २००४-०५

नम्बर	रकबा यदि भूमि गैर खाते की है तो बिवरण	कब्जेदार का नाम पिता अथवा पति का नाम, सकूतन, हक्क देखो काण्ड 5 का अध्याय 5 लैण्ड रिकार्ड मैन्युअल जिल्द I	भुमि स्वामी के पट्टाधारी या मौरुसी कृषक के उप पट्टेधारी का नाम बाप का नाम लगान या पट्टे राशि और पट्टे पर दी गई भुमि का रकबा	रकबा जो खाते शामिल: जिस पर साल के अंदर फसल हुई — नाम जिन्स	रकबा	रकबा दु फसली	पडती रकबा — चालू वर्ष की पडती	2 साल से 5 साल तक की पडती	अन्य पडती	नाम जिन्स और रकबा जो गैर खाते रकबे में हुई	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
४९५ / ५३३/१	४०.४६८	रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर शासकीय पट्टेदार							४०.४६८		
४९५ / ५३३/२	४.९१४ आबादी										
४९५ / ५३३/३	०.११३ घास									(इन्तजाम)	जेल विभाग इंजी. कॉलेज के अहाता के अंदर
४९५ / ५३३/४	४३.३२२	रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर शासकीय पट्टेदार							४३.३२२		

[signature] [illegible]-३/०५

संतोष [illegible]
प०ह० नं. १०४
रायपुर

कार्यालय तहसीलदार, रायपुर

क्र. [illegible]/05 रायपुर दिनांक 2/2/05

प्रति,

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय क्र. 2
रायपुर

उपरोक्त दिनांक 2/2/2005 को केन्द्रीय विद्यालय को आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम कुम्हारी में प.ह.नं. 104 स्थित भूमि ख.नं. 533/2 रकबा 3.914 हे. भूमि का हल्का पटवारी 104 नंदकुमार सिन्हा, रा. निरीक्षक एवं श्री नंदकुमार दुबे एवं वहाँ प्राचार्य श्री व्ही. शुक्ला के समक्ष, मौका का स्थल निरीक्षण कर बताया गया।

2/2/05
तहसीलदार
रायपुर
(U. Netam)

2/2/05
(N. K. Sinha, Patwari)

2/2/05
(V. SHUKLA)
Principal KV 2.

(13)

न्यायालय तहसीलदार रायपुर छ.ग.

क्र. स वा. तह/05 रायपुर दिनांक 02/02/05

प्रति,

प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय नं. -2

रायपुर छ.ग.

आज दिनांक 02/02/2005 को केन्द्रीय विद्यालय को शासन से प्राप्त भूमि ग्राम डुमरतालाब प.ह.नं. 104 स्थित भूमि ख.नं. 533/2 रकबा 3.914 हे. भूमि का हल्का पटवारी 104 नंद कुमार सिन्हा, रा.नि. रायपुर एक श्री नंद कुमार एवं पट्टा धारक श्री व्ही. शुक्ला के साथ मौका का सीमांकन कर बताया गया ।

पटवारी
2/2/05

(नंद कुमार सिन्हा)

(व्ही शुक्ला)
प्राचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय नं. -2
रायपुर छ.ग.

2/2/05
तहसीलदार
रायपुर

14A

-12-2005	प्रकरण तहसीलदार रायपुर से प्राप्त। अवलोकन किया गया। तहसीलदार रायपुर के प्रतिवेदन दिनांक 24-12-05 से सहमत। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् कलेक्टर महो. रायपुर को सम्प्रेषित। श्रीमान् कलेक्टर रायपुर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर	
29-12-2005	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर से प्राप्त। प्रकरण का परिशीलन किया गया। 2- प्रकरण में प्रारंभिक जांच तहसीलदार, रायपुर द्वारा की गई। तहसीलदार, रायपुर ने अपने जांच प्रतिवेदन में केन्द्रीय विद्यालय रायपुर को डूमरतालाब प0ह0नं0 104 स्थित शासकीय भूमि खसरा नं0 533/2 रकबा 10-00 एकड़ (स्थल पर 9-67 एकड़) भूमि का आबंटन शासन द्वारा किये जाने पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु खुदाई कार्य प्रारंभ करने पर विश्वविद्यालय द्वारा स्थल पर जाकर कार्य रुकवाया गया। केन्द्रीय विद्यालय के पदाधिकारियों एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से चर्चा करने पर केन्द्रीय विद्यालय के पदाधिकारियों ने उक्त भूमि को शासन के द्वारा आबंटित किया जाना बताया है प्रतिवेदित किया है। प्रतिवेदन में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने इसी भूमि को यू0आई0टी0 के लिए चिन्हांकित करते हुए उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है इस पर शीघ्र शिलान्यास किया जाना है बताया है साथ ही यह भी बताया है, कि परिसर की लगभग 66 एकड़ भूमि का अर्जन किए जाने की कार्यवाही की जानकारी से प्रतिवेदित किया है। प्रतिवेदन में कुलसचिव एवं केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य के साथ संयुक्त चर्चा की गई एवं अन्य स्थल केन्द्रीय विद्यालय हेतु दिखाये	

जाने के संबंध में सहमति हुई। ग्राम कुसतालाब प०ह०नं० 104 स्थित भूमि खसरा नं० 533 से ही रकबा 9-68 एकड़ भूमि आवंटित हुई थी। तदनुसार उसी खसरा नं० के स्थल प्रतिवेदन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय की ओर से उनके भूमि के द्वारा वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार भूमि देने पर सहमति व्यक्त की है जिसका स्थल प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय को भी दिखाया गया है वो भी सहमत है। संशोधित स्थल के संबंध में राजस्व निरीक्षक पटवारी से संशोधित नक्शा एवं प्रतिवेदन लिया गया जो पृथक से संलग्न है बनाया जाकर नक्शा में स्थल संशोधित करने का प्रस्ताव उचित माध्यम से इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर ने अपने प्रतिवेदन में तहसीलदार, रामपुर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही प्रेषित किया है।

प्रकरण में अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के जांच प्रतिवेदन एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेज तथा छ०ग०भू-राजस्व संहिता का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। जैसा कि शासन ने केन्द्रीय विद्यालय को ग्राम कुसतालाब प०ह०नं० 104 स्थित शासकीय भूमि खसरा नं० 533/2 रकबा 10-00 भूमि का आवंटन किया है जिस पर नियमानुसार उक्त विभाग से 25-00 पंजीकृत मूल्य लेकर उनके पक्ष में पट्टा एवं नक्शा जारी किया गया है। वहीं तहसीलदार ने केन्द्रीय विद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विवाद को सुलझाने हेतु दोनों विभागों के पदाधिकारियों से संयुक्त चर्चा कर नक्शा में स्थल संशोधित करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है। इस संबंध में छ०ग०भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 125 का भी अवलोकन किया गया धारा 125 ग्रामों, सर्वेक्षण संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों के बीच सीमाओं के बारे में विवाद का विनिश्चय करने का प्रावधान उपबंधित है।

146

शासनादेश के परिपेक्ष्य में केन्द्रीय विद्यालय रायपुर के पक्ष में ग्राम डूमरतालाब प०ह०नं० 104 स्थित शासकीय भूमि खसरा नं० 5331 2 रकबा 10-00 एकड़ भूमि का पट्टा मय नक्शा जारी किया गया है। केन्द्रीय विद्यालय, रायपुर एवं विश्वविद्यालय के मध्य उक्त भूमि को लेकर विवाद होने से तहसीलदार, रायपुर ने विवाद के निराकरण हेतु ग्राम डूमरतालाब प०ह०नं० 104 स्थित शासकीय भूमि खसरा नं० 5331 2 रकबा 9-68 एकड़ भूमि को चिह्नांकित कर स्थल संशोधन का प्रस्ताव प्रेषित किया है। तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रेषित स्थल संशोधन के प्रस्ताव से खसरा नंबर एवं रकबा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है मात्र नक्शा में स्थल परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में छ०ग०भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 126 के तहत नक्शा में चिह्नांकित स्थल संशोधन की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर केन्द्रीय विद्यालय, रायपुर को पूर्व में जारी पट्टा के साथ संलग्न नक्शा में चिह्नांकित स्थल खसरा नं०5331 2 रकबा 9-67 एकड़ के स्थान पर प्रस्तावित चिह्नांकित संशोधन स्थल खसरा नं० 5331 2 रकबा 9-68 एकड़ भूमि के संशोधन की अनुमति छ०ग०भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 126 के तहत प्रदान की जाती है।

प्रकरण नजूल अधिकारी, रायपुर को केन्द्रीय विद्यालय, रायपुर को संशोधित मानचित्र जारी करने तथा भूमि का आधिपत्य सौंपने की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कलेक्टर,
रायपुर.

नजूल अधिकारी,
रायपुर

14D

प्रकरण कलेक्टर, रायपुर से प्राप्त हुआ । प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण में केन्द्रीय विद्यालय रायपुर को आबंटित भूमि का मानचित्र संशोधन करने का आदेश पारित किया गया है । अतः केन्द्रीय विद्यालय रायपुर को आबंटित भूमि का संशोधित मानचित्र जारी करने तथा भूमि का आधिपत्य सौंपने की कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी रायपुर को भेजा जावें ।

अनुविअ०

3/12/05
अनुविभागीय अधिकारी
रायपुर

3/12/05 प्रकरण नजूल अधिकारी रायपुर से प्राप्त ।
तहसीलदार रायपुर को पूर्व आदेश के पालन में कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

अनुविभागीय अधिकारी
रायपुर

14D

(15)

प्रति माननीय तहसीलदार महोदय
रायपुर

विषय :- ग्राम डूमरतालाब प.ह.नं. 104 रा.नि.मं. जि. रायपुर के ख.नं. 533 का भाग रकबा 3.914 हे. के स्थल परिवर्तन के संबंध में प्रस्तावित प्रतिवेदन

महोदय जी,

निवेदन है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम डूमरतालाब प.ह.नं. 104 में आवंटित भूमि केन्द्रीय विद्यालय रायपुर के ख.नं. 533 का भाग रकबा 3.914 हे. के स्थल जांच करने पहुंचा। पूर्व में केन्द्रीय विद्यालय रायपुर को आवंटित भूमि नक्शे के अनुसार बतलाई गई स्थान पर रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। तबसे रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा स्थल के संबंध में लिखित में पत्र क्रमांक भौतिकी/2005/रायपुर दिनांक 21.12.2005 के अनुसार नजरी तौर पर स्थल दर्शाया गया है उसी स्थल को केन्द्रीय विद्यालय रायपुर की ओर से उपस्थित प्राचार्य श्री शुक्ला को स्थल दिखवाया गया।

उपरोक्त स्थल के अनुसार संलग्न नक्शे में पूर्व में आवंटित स्थल एवं वर्तमान में प्रस्तावित स्थल को दर्शाया गया है। वर्तमान में उक्त नंबर का नक्शा उपलब्ध नहीं होने के कारण डगनिया, रायपुरा और चिरहुलडीह की सरहद को आपस में मिलान कर नक्शा तैयार किया गया है। महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रस्तावित नक्शा के अनुमोदन के बाद नक्शा दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

रिपोर्ट सादर प्रस्तुत

[signature] 26/12/05
राजस्व निरीक्षक
रायपुर-1

संलग्न :- (1) पटवारी (ग्राम) पंचशाला की प्रति
(2) नक्शा प्रस्तावित
(3) विश्वविद्यालय की स्वीकृति पत्र
(4) ट्रेसिंग प्लान (नक्शा)

[signature] 26/12/05

[signature] 26/12/05

[stamp]

म० नि० मं० रायपुर-१

D. II खसरा पाँच

16

१ आवेदन प्रस्तुत करने तथा नकल तैयार करने हेतु अनुमानित शुल्क जमा करने की तिथि 3/11/2006
२ [illegible] हेतु [illegible] में उपस्थित होने की तिथि 10/11/2006
३ आवेदक को उपस्थित होने की तिथि
४ [illegible] के प्रस्तुत करने की तिथि 5/11/2006
५ [illegible] से अधिक का प्रतिलिपि [illegible] देने की तिथि
६ [illegible] प्रस्तुत करने की तिथि
७ प्रतिलिपि [illegible]
८ प्रतिलिपि [illegible]
९ [illegible] 5/11/2006

5/11/2006

आवेदन क्रमांक	प्रतिलिपि तैयारकर्ता	प्रतिलिपि मिलानकर्ता	अधीक्षक कार्यालय	प्रतिलिपिकार रायपुर

23/11/2006

खसरा पाँच

ग्राम - डूमरतालाब
प. ह. नं. - १०४
तह. व. जि. - रायपुर

आवश्यक प्रयोजन हेतु लिखित

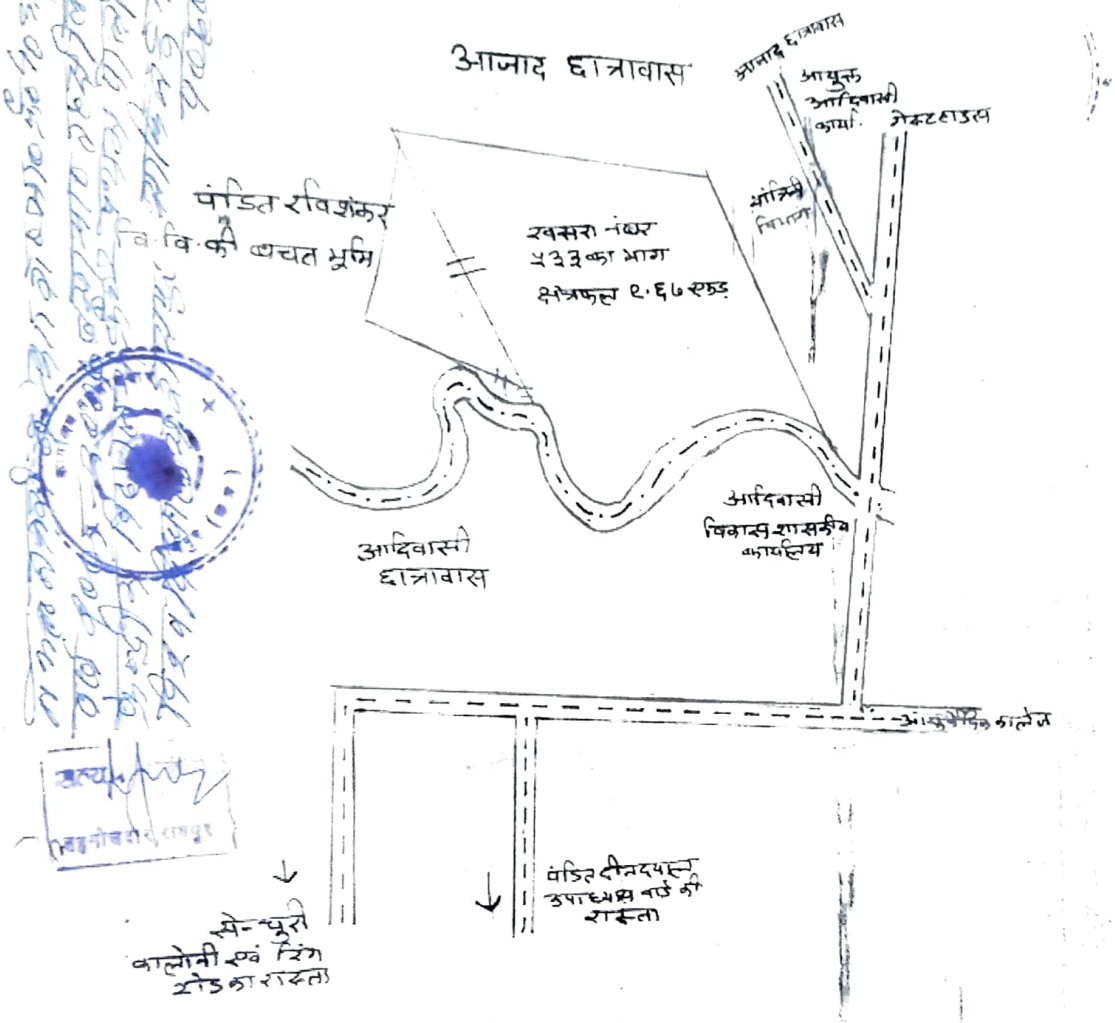

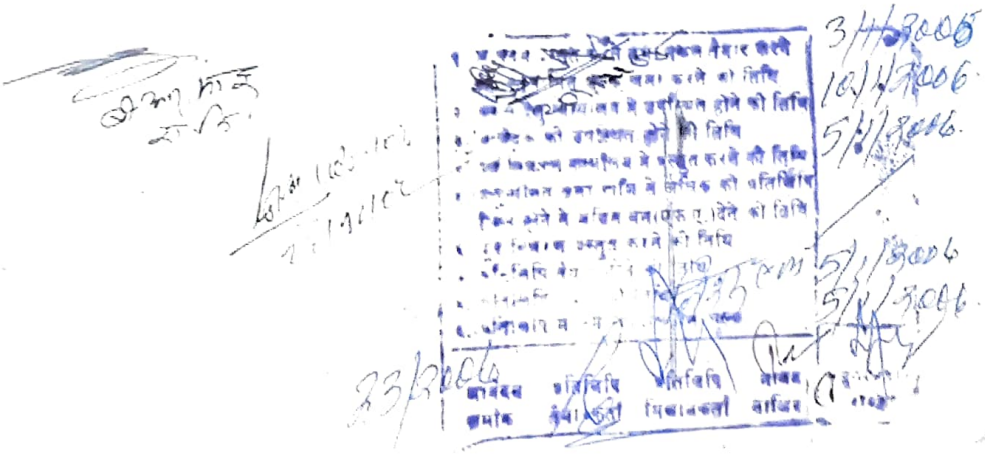

XXIIP
Sainic

(18)

[illegible] रायपुर-१

ग्राम ...... [illegible] ...... प.ह.नं. १०६

रा. नि. मं. रायपुर १

तह० व जिला-रायपुर वर्ष २००७-०८

P. II खसरा पांच

नम्बर	रकबा (यदि भूमि मेर की तो विवरण)	कब्जेदार का नाम पिता अथवा पति का नाम सकूनत, हक्क (देखो कंडिका ५ का अध्याय ५ का लैंड रिकार्ड मैन्युअल जिल्द १)	भूमि स्वामी के पट्टा धारी या मौरूसी कृषक के उप पट्टे धारी का नाम बाप का नाम लगान या पट्टे राशि और पट्टे पर दी गई भूमि का रकबा	रकबा जो खाते में शामिल — जिस पर साल के अन्दर फसल हुई: नाम जिन्स	रकबा	रकबा दुफसली	पड़ती रकबा: चालू वर्ष की पड़ती	२ साल से ५ साल तक की पड़ती	अन्य पड़ती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
४०७ / ४३३ / ५	४०.४६ [illegible]	[illegible]						[illegible]	

[illegible signature]

3/11/2006
10/11/2006
5/11/2006
5/11/2006
5/11/2006

[illegible] की तिथि
[illegible] उपस्थित होने की तिथि
[illegible] उपस्थित होने की तिथि
[illegible] प्रस्तुत करने की तिथि
[illegible] प्रतिलिपि
[illegible] देने की तिथि
[illegible] प्रस्तुत करने की तिथि
[illegible] की तिथि

[illegible] प्रतिलिपि [illegible] प्रतिलिपिकर्ता [illegible] तहसीलदार रायपुर

23/11/2006

रा० नि० मं० रायपुर-१
प०ह० नं० जिला-रायपुर वर्ष 2007/08 [illegible]

P. || खसरा पांच

1	रकबा (यदि भूमि का ... तो विवरण) 2	कब्जेदार का नाम पिता अथवा पति का नाम सकूनत, हक्क (देखो कंडिका ५ का अध्याय ५ का लैंड रिकार्ड मैन्युअल जिल्द १) 3	भूमि स्वामी के पट्टा धारी या मौसमी कृषक के उप पट्टे धारी का नाम बाप का नाम लगान या पट्टे राशि और पट्टे पर दी गई भूमि का रकबा 4	रकबा जो खाते में शामिल — जिस पर साल के अन्दर फसल हुई — नाम जिन्स 5	रकबा 6	रकबा दुफसली 7	पड़ती रकबा — चालू वर्ष की पड़ती 8	२ साल से ५ साल तक की पड़ती 9	अन्य पड़ती
807 / 433 / 5	80.885 [illegible]	[illegible]		[illegible] 7108					[illegible]

[illegible]

1 ... प्रस्तुत करने तथा ... तैयार करने ... कृषक जमा करने की तिथि — 5/1/2006
2 ... उपस्थित होने की तिथि — 10/1/2006
3 ... का उपस्थित होने की तिथि — 5/1/2006
4 ... प्रस्तुत करने की तिथि
5 ... अधिक की ...
6 ... देने की तिथि
7 ... करने की तिथि
8 ... होने की तिथि — 5/1/2006
9 ... की तिथि — 5/1/2006
10 ... मुहर

1/2006

पटवारी -

... २३३ ... बिरकुलडीह एवं रायपुरा ... तैयार किया गया है। राजस्व निरीक्षक
रायपुर-1

20A

पंचनामा

मुलाकात

आज दिनांक 31-12-05 को ग्राम डूमरतालाब प.ह.नं. 104 रा.नि. मं. रायपुर-1 तह. व जि. रायपुर में भूमि खसरा नं. 533/2 रकबा 9.67 एकड़ आवंटित भूमि केन्द्रीय विद्यालय रायपुर को हल्का पटवारी श्री सिन्हा के सहयोग से स्थल पर नक्शे के अनुसार नापकर चिन्हांकित किया गया और केन्द्रीय विद्यालय रायपुर को उनके आधिपत्य में कब्जा सौंपा गया। इसमें निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित रहे।

(1) [signature]
31/12/05
V. SHUKLA
Principal, KV 2

(2) [signature]
31-12-05
बलीराम साहू
रा.नि.
तह. - रायपुर

(3) [signature]
(पटवारी
इन्द्रकुमार सिन्हा)

(4) [illegible]
[signature]

तहसीलदार
रायपुर

208

3/1/2006
10/1/2006
5/1/2006
5/1/2006
5/1/2006
23/1/2006